

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा**  
**पीठासीन अधिकारी:- चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS**

प्रकरण संख्या- 218/2017 वाद

पन्नालाल पिता भैरूलाल मेघवाल, उम्र 40 साल, निवासी अरनिया जोशी, तहसील निम्बाहेड़ा।  
- वादी

// बनाम //

1. गौरीलाल पिता नन्दा मेघवाल, आयु 60 साल, निवासी अरनिया जोशी।
2. मु. सुन्दर बाई पुत्री नन्दा मेघवाल, आयु 70 साल, निवासी अरनिया जोशी (नाम विलोपित)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

- प्रतिवादीगण

**दावा बाबत:- बंटवारा बाबत।**

लोक अदालत कैम्प कोर्ट अरनिया जोशी में दिनांक 02.05.2018 को इस वाद में राजीनामों के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की विवादित भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2, 1/2 हक हिस्सा घोषित किया गया था तथा तहसीलदार निम्बाहेड़ा को फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा अपने पत्रांक/टीआरए/20/189, दिनांक 27.09.2020 के माध्यम से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादी कतरई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा अरनिया जोशी की खाता संख्या 27 की आराजी नं. 120,122, 643 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.5200 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है-

1- गौरीलाल पिता नन्दा मेघवाल, सा. देह के रहेगी:-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
120 मी	0.3800	15.96
122 उत्तर	0.1100	4.62
643 पूर्व	0.2700	11.34

कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.7600 हैक्टेयर कुल लगान 31.92 रूपये



2- पन्नालाल पिता भैरूलाल मेघवाल, सा. देह के रहेगी:-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
122 दक्षिण	0.5000	21.00
643 पश्चिम	0.2600	10.92

कुल किता 2 कुल रकबा 0.7600 हैक्टेयर कुल लगान 31.92 रूपये

उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 08.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
निम्बाहेड़ा

